

संदिग्ध जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद संख्या-10.2.1/2016-17

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
5-12-20	अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार शैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक-.....को उपस्थापित करें। नयावडी अंचल अधिकारी, निरसा।	
22.12.20	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार शैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित बन्दोबस्ती पर्चा, हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म-एम0, लगान-रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निर्बंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक-.....को उपस्थापित करें। नयावडी अंचल अधिकारी, निरसा।	
29.01.21	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी	

रद्द/नियमितीकरण करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-.....
 527)....., मौजा नं०-.....143, साबिक खाता सं०-.....31....., साबिक
 प्लॉट सं०-.....1209....., रकबा-.....1406..... जिसका हाल खाता सं०-.....152.....,
 हाल प्लॉट सं०-.....1164....., रकबा-.....03....., गत् सर्वे
 खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद
 बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा
 दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया
 गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार
 नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में
 तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व
 में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व
 उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार.....
के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-301.....को रद्द करने की
 अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा
 के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के
 तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-301.....को रद्द करने हेतु अनुशंसा
 के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर
 समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

14.05/1
 अंचल अधिकारी,
 निरसा।